

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-08/2022

प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति (पार्श्विक) हेतु विज्ञापन।

1. स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अन्तर्गत प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति (पार्श्विक) हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10937, दिनांक-07.08.2019 के द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक-25.08.2022 से दिनांक-24.09.2022 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त रोस्टर के अनुसार प्राचार्य हेतु पद की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम	वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी										अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
		अनु०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अ० पि० व०	पि० व०	पि० व० की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी के लिए 2%	दिव्यांग हेतु 4%	
प्राचार्य	ग्रेड पे०-5400/- 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-9 (नौ) तथा समय-समय पर अनुमान्य भत्ते।	17	04	07	01	08	05	01	43	01	दृष्टि-01 चलन-00 मनों-01 मूकब-00 कुल-02	उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०एस-सी० नर्सिंग उत्तीर्ण (तीन वर्षों के शिक्षण का अनुभव सहित) अथवा बी०एस-सी० नर्सिंग बेसिक/पोस्ट बेसिक उत्तीर्ण (पाँच वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) उम्मीदवार सीधी भर्ती द्वारा पार्श्विक नियुक्ति हेतु आवेदन के योग्य हो सकते हैं। नोट:- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों का शिक्षण अनुभव मान्य होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
	35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	06	01	03	00	03	02	00	15			

2. **आयु सीमा:-**(i) दिनांक-01.08.2021 को न्यूनतम आयु : 21 वर्ष।

अधिकतम आयु सीमा:-

(ii) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष

(iii) अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष

(iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)- 40 वर्ष

(v) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला) - 42 वर्ष

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में निम्नतम वेतनमान पर कार्यरत सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(viii) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

3. **चयन की प्रक्रिया:-** 'प्राचार्य' के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगी:-

(i)	बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए:-	60 अंक
(ii)	उच्चतर योग्यता एम०एस०सी० नर्सिंग के लिए:-	15 अंक
(iii)	प्राचार्य के रूप में संविदागत/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में शैक्षणिक कार्यानुभव के लिए (प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा (सा०प्रा०वि० के संकल्प सं०-1003, दिनांक-22.01.2021)।	25 अंक
कुल:-		100 अंक

नोट:- (i) यदि किसी अभ्यर्थी को बी०एस०सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) कोर्स करने के साथ पाँच वर्षों का शिक्षण अनुभव न हो, परन्तु एम०एस०सी० नर्सिंग कोर्स करने के साथ तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव प्राप्त हो तो वैसे अभ्यर्थी को बी०एस०सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) कोर्स के लिए भी निर्धारित अंक नियमानुसार देय होगा।

(ii) बी०एस०सी० नर्सिंग (बेसिक/पोस्ट बेसिक) कोर्स में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

(iii) अनुभव का लाभ बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूल/संस्थान में शैक्षणिक कार्य हेतु-प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' तथा संविदा पर कार्यरत प्राचार्य को दिया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक:-25.08.2022 तक बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र जो संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 25.08.2022 तिथि तक ही की जायेगी।

(v) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

4. **आरक्षण:-**

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र,

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

82

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र- (सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट:- (i) महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु), क्रीमीलेयर-रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न कराना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य कोई जाति प्रमाण-पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु मान्य नहीं किया जायेगा।

(iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरान्त नहीं किया जा सकेगा। दावा किए गए कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

(iv) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतीनी/बिहार राज्यके नर्सिंग स्कूलों में प्राचार्य के पद पर संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

5. आवेदन शुल्क:- Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र०सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-

32

3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु0 50 /—
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु0 200 /—

- (i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपये निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपये परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस.बी.आई. के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्ता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) कंडिका-3(iii) के अंतर्गत कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा प्राचार्य के पद पर सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप (Format) में) निर्गत करने के लिए संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रतिनिश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किया है। अन्य सभी प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने की तिथि 24.09.2022 के पूर्व का होना आवश्यक है।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
10. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।



11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा ई०-मेल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
12. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
14. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा।
15. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफ:-**
 - (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
 - (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 - (ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
 - (घ) कंडिका 15(vii)(क), (ख), (ग) में वर्णित निदेशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोट:-1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


23.8.2022
सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट-I

संस्थान/कार्यालय का नाम:-.....

अनुभव प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति..... पता

..... की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....
दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर (पदनाम)
के पद पर नियुक्ति के पश्चात (कार्यालय का
नाम) में..... (पदनाम) के रूप में दिनांक- से
तक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय की दर से भुगतान
किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले सक्षम
पदाधिकारी का पूरा नाम:-.....

पदनाम:-.....

प्रशासी विभाग का नाम:-.....